



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 807/2022 धारा 363/376(3) भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट तथा मु0अ0सं0 1043/22 धारा 174ए भादवि में वांछित 15 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त बब्लू उर्फ विकास को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 807/2022 धारा 363/376(3) भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट तथा मु0अ0सं0 1043/22 धारा



174ए भादवि में वांछित 15 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त बब्लू उर्फ विकास को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार बांछित/ईनामी अभियुक्त बब्लू उर्फ विकास की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग की अपहृता को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बब्लू उर्फ विकास पुत्र कालू निवासी ग्राम पावला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0- 109/03 धारा 302/201/120 B भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0- 114/03 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0- 619/14 धारा 392/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0- 455/15 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0- 1098/15 धारा 323/354/354ए/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0- 466/22 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0- 1042/22 धारा 323/501/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0- 807/2022 धारा 363/376(3) भादवि, ¾ पोक्सो एक्ट व 67 IT ACT थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0- 1043/22 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री विनोद कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 506 विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-का0 25 राजीव थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-का0 60 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 20.02.2023

पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर दहेज हत्या के आरोपी नवाब को 01 वर्ष का कारावास व आरोपियों दिलशाद व सजाउदीन को 10 वर्ष का कारावास तथा आरोपी ज्ञानो को 07 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त दिलशाद पुत्र सद्दीक, सजाउदीन पुत्र सद्दीक, नवाब पुत्र सद्दीक व ज्ञानो पत्नी सद्दीक निवासीगण सुन्हैडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2006 में दहेज हत्या की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0- 173/2006 धारा 304बी भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.02.2023 को माननीय न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त दिलशाद व सजाउदीन को दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 5000 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता ज्ञानो को दोषी पाते हुए धारा 304बी भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त नवाब को दोषी पाते हुए धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

- 1-दिलशाद पुत्र सद्दीक निवासी सुन्हैडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2- सजाउदीन पुत्र सद्दीक निवासी सुन्हैडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3- नवाब पुत्र सद्दीक निवासी सुन्हैडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4- ज्ञानो पत्नी सद्दीक निवासी सुन्हैडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20.02.23

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 06 पेटी अवैध देशी शराब तथा तस्करी में प्रयुक्त एक स्प्लेण्डर मो0सा0 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 06 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त एक स्प्लेण्डर मो0सा0 नम्बर HR-07Q-4629 बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 162/22 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निशान्त पुत्र सतेन्द्र निवासी खेडा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 06 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक स्प्लेण्डर मो0सा0 नम्बर HR-07Q-4629

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राममूर्ति शर्मा कोतवाली बागपत ।
- 2 का0 229 देवेश कसाना थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 20.02.2023

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता:-

दिलशाद पुत्र यामीन निवासी ग्राम बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-का0 349 जितेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक –20.02.2023

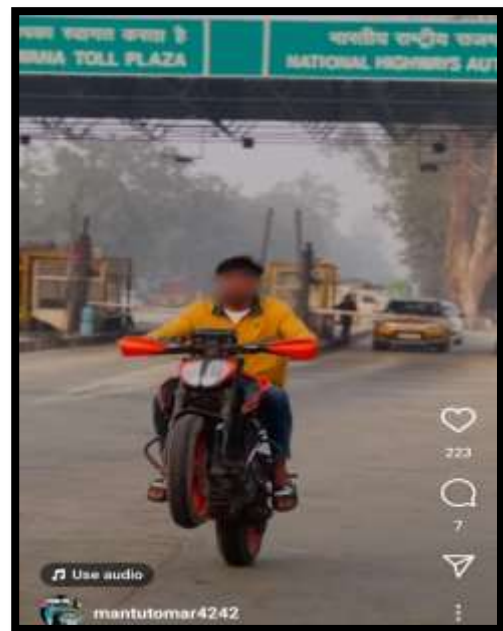
थाना रमाला पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए फोटो/वीडियो में मोटरसाइकिल से स्टंट बाजी करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से स्टंट बाजी में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर कुछ फोटो/वीडियो वायरल हुई जिसमें एक युवक द्वारा सार्वजनिक स्थान (हाईवे) पर मोटरसाइकिल से स्टंट बाजी की गई । थाना रमाला पुलिस द्वारा वायरल फोटो/वीडियो का संज्ञान लिया गया एवं स्टंट बाजी करने वाले युवक को चिन्हित किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल से स्टंट बाजी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से स्टंट बाजी में प्रयुक्त की गई केटीएम मो0सा0 नं UP-12AW-4618 बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हरिश पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुनहरा सिंह ।

2-का0 19 सोनित कुमार ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 20.02.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 56/23 धारा 323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 19.02.2023 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री संदीप पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर ने लिखित तहरीर दी कि उसके ही गांव के अभियुक्तगण 1.सोनू उर्फ सोनवीर व 2.भरत सिंह पुत्र गण बाबूराम द्वारा वादी व वादी के पिता के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डण्डों से



मारपीट की जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 56/23 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा

थाने के मु0अ0सं0 56/23 धारा 323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-भरत पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-सोनू उर्फ सोहनवीर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आरिफ अब्बास थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-है0का0 214 उमेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।